अज अदालत – उप खण्डअधिकारी मुकाम सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 11/2018 रेवेन्यु दायर दिनांक 01/02/2018

निर्णय दिनांक 12/02/2021

1. श्री मगन पिता सवा ननोमा मीणा
2. श्री रमेश पिता सवा ननोमा मीणा
3. श्रीमति कमला बेवा पत्नि सवा ननोमा मीणा निवासीयान बथडी प.ह. बांसीया तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)

— वादीगण

बनाम

1. श्री नाथू पिता कमजी ननोमा मीणा
2. श्री लक्ष्मण पिता कमजी ननोमा मीणा
3. श्री भूरीया पिता कमजी ननोमा मीणा निवासीयान बथडी प.ह. बांसीया तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)
4. श्री लेण्ड होल्डर भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाडा तहसीलदार सीमलवाडा मुख्यालय धम्बोला जिला डूँगरपुर (राज.)

— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188/183 /209 रा.टी.एक्ट

उपस्थित – वादी की ओर से – श्री अल्लाहनूर मन्सूरी एडवोकेट

प्रतिवादी नं. 1 से 3 – श्री विरेन्द्रसिंह जी एडवोकेट

प्रतिवादी नं. 4 – पेरोकार सरकार

वादीगण का वाद इस प्रकार है कि मोजा बथडी प.ह. बांसीया तहसील सीमलवाडा में वादीगण के विरासती खाते की आराजी संवत 2070 से 2073 के खाता नं. 64 नया वो 70 पुराना के खसरा नं. 672/1 रकबा 3–10 तीन बीघा दस बिस्वा सुखी तृतीय लगानी 1–75 एवं खसरा नं. 677/10 रकबा 3) तीन बीघा दस बिस्वा सुखी तृ. लगानी 1–50 कुल खसरा 2 कुल रकबा 6–10 छः बीघा दस बिस्वा की स्थित है जो वादीगण के पिता/पति के खाते की होकर विरासती होकर वादीगण के खाते दर्ज है जिस पर वादीगण अपने पिता के समय से काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं । वादीगण के पिता द्वारा उक्त खाते की आराजी को रहन वे बक्षीस के मुन्तकील नहीं किया है प्रतिवादीगण का इन आराजीयात पर किसी प्रकार का हक हिस्सा नहीं है । प्रतिवादीगण वादीगण के पिता के फोत हो जाने से जमीन जब्रन छीन लेने आए दिन झगडा फिसाद करते रहते हैं एवं काश्त करने में अवरोध पैदा कर वादीगण के खाते कब्जे काश्त की आराजी की सीमाऐं लांघते हुए प्रवेश होकर मकान निर्माण कर लिया है एवं

Scanned with CamScanner

वादीगण को काश्त करने में अवरोध पैदा कर रहे है जिससे प्रतिवादीगण का अतिक्रमण हटाया जाकर किये गये निर्माण को विध्वंश कराया जाकर खाते की भूमि को रिक्त करवाया जाकर कब्जा वादीगण को सुपुर्द करवाया जावे का वाद प्रस्तुत किया है ।

वादीगण की ओर से वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जिस पर प्रतिवादीगण उपस्थित हुए एवं अपना वकील नियुक्त करते हुए जवाब पेश करने हेतु समय चाहा ।

प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत किये जाने कई अवसर प्रदान किये गये लेकिन लम्बे समय तक जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाने से जवाब प्रतिवादीगण की स्टेज बंद की गई । प्रतिवादीगण का जवाब प्रस्तुत नहीं होने से तनकीयात विचरित नहीं की जाने से पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादीगण में नियत की गई।

कि वादीगण की ओर से अपने वाद के समर्थन में वादी मगन एवं गवाह शंकरलाल के बयान शपथपत्र पेश करते हुए मुख्य परिक्षण करवाया । दस्तावेजी साक्ष्य में खतोनी प्रदर्श – 1 को प्रदर्शित करवाया । वकील प्रतिवादीगण को जिरह हेतु अवसर दिया गया जिन्होने ने जिरह नहीं की । वकील वादीगन द्वारा साक्ष्य समाप्त किये जाने से पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी में नियत की गई ।

कि प्रतिवादीगण की ओर से किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने से साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाकर पत्रावली पर बहस समाअत की गई ।

वकील वादीगण द्वारा बहस दौरान वाद में अंकित तत्थ्यों को देहराते हुए रेवेन्यु रेकर्ड की खतोनी प्रदर्श – 1 पर जोर दिया एवं न्यायालय के समक्ष पक्ष रखा कि खतौनी वादीगण के संयुक्त खाते की होकर वादीगण के स्वतंत्र खाते कब्जे काश्त की आराजी है एवं प्रतिवादीगण का इस आराजी से किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं होते हुए भी जब्रन सीमाऐं लांघते हुए आराजीयात में प्रवेश होकर मकान निर्माण कर लिया है एवं बचत भूमि पर अतिक्रमण कर वादीगण को काश्त करने में व्यवधान पैदा कर रहे हैं इस लिए प्रतिवादीगण द्वारा किया गया निर्माण विध्वंश करवाया जाकर भूमि रिक्त करवाई जावे एवं अतिक्रमित भूमि से प्रतिवादीगण को बे दखल कर कब्जा वादीगण को सुपुर्द करवाया जाकर भविष्य में प्रतिवादीगण अतिक्रमण नहीं करें, वादीगण के कब्जे काश्त में काश्त करने में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करें बाबत स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना फरमावें ।

बाद समाअत बहस के पत्रावली का ध्यान पुर्वक अध्ययन किया गया । वादी की मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श – 1 के अनुसार विवादास्पद आराजीयात वादीगण के खाते कब्जे काश्त की है जिसके वे स्वतंत्र मालिक है । इस लिए वाद वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा के लिए एवं खाते की भूमि पर किये गये अतिक्रमण मुक्त करवाए जाने एवं किये गये निर्माण को विध्वंश करवाए जाने के लिए दवा डिक्री करवाए जाने के अधिकारी पाये जाते हैं इस लिए वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है एवं प्रकरण में कियात्मक आदेश निम्नानुसार जारी किया जाता है –

Scanned with CamScanner

कियात्मक आदेश

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वाद इस प्रकार डिकी किया जाता है कि मोजा बथडी प.ह. बांसीया तहसील सीमलवाडा में वादीगण के विरासती खाते की आराजी संवत 2070 से 2073 के खाता नं. 64 नया वो 70 पुराना के खसरा नं. 672/1 रकबा 3–10 तीन बीघा दस बिस्वा सुखी तृतीय लगानी 1–75 एवं खसरा नं. 677/10 रकबा 3) तीन बीघा दस बिस्वा सुखी तृ. लगानी 1–50 कुल खसरा 2 कुल रकबा 6–10 छः बीघा दस बिस्वा की स्थित है में प्रतिवादीगण किसी प्रकार से वादी के चले आ रहे कब्जे काश्त में किसी प्रकार से व्यवधान पैदा नहीं करें, फसली नुकसान नहीं पहूँचावे, सम्पूर्ण आराजीयात पर एवं आंशिक आराजी पर किसी प्रकार से अतिकमण नहीं करें और न ही एसा कृत्य करे जिससे कि वादी के चले आ रहे शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा हो एसा कृत्य न तो स्वयं करें और नही अपने किसी परिवार के सदस्य , ठेकेदार, मजदुर आदि से ही करावें । साथ ही तहसीलदार सीमलवाडा कों आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के उपरोक्त खाते कब्जे काश्त की आराजी पर किसी प्रकार से अतिक्रमण कर निर्माण कर लिया होना पाया जावे तो या अतिकमण किया जाना पाया जावे तो निर्माण विध्वंश करवाया जाकर आराजी को अतिकमण मुक्त करते हुए प्रतिवादीगण को आराजीयात से बेदखल कर कब्जा वादीगण को सुपुर्द कराया जावे । खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करेगें। पर्चा डिकी नियमानुसार जारी किया जावे । पत्रावली बाद अमल दरामद फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे ।

ब सब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 12/02/2021 को जारी की गई।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, सीमलवाडा

मुहर

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई (~~प्रारंभिक डिक्री~~)

(ओ. 2 रूल 6 – 7 जा. दी.)

(सिविल प्रोसिजर कोड एपिन्डिक्स ऐ)

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 11 / 2018 रेवेन्यु

दायर दिनांक 01 / 02 / 2018

निर्णय दिनांक 12 / 02 / 2021

1. श्री मगन पिता सवा ननोमा मीणा
2. श्री रमेश पिता सवा ननोमा मीणा
3. श्रीमति कमला बेवा पत्नि सवा ननोमा मीणा निवासीयान बथडी प.ह. बांसीया तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)

— वादीगण

बनाम

1. श्री नाथू पिता कमजी ननोमा मीणा
2. श्री लक्ष्मण पिता कमजी ननोमा मीणा
3. श्री भूरीया पिता कमजी ननोमा मीणा निवासीयान बथडी प.ह. बांसीया तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)
4. श्री लेण्ड होल्डर भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाडा तहसीलदार सीमलवाडा मुख्यालय धम्बोला जिला डूँगरपुर (राज.)

— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 / 183 / 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थित – वादी की ओर से – श्री अल्लाहनूर मन्सूरी एडवोकेट

प्रतिवादी नं. 1 से 3 – श्री विरेन्द्रसिंह जी एडवोकेट

प्रतिवादी नं. 4 – पेरोकार सरकार

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वाद इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि मोजा बथडी प.ह. बांसीया तहसील सीमलवाडा में वादीगण के विरासती खाते की आराजी संवत 2070 से 2073 के खाता नं. 64 नया वो 70 पुराना के खसरा नं. 672 / 1 रकबा 3–10 तीन बीघा दस बिस्वा सुखी तृतीय लगानी 1–75 एवं खसरा नं. 677 / 10 रकबा 3) तीन बीघा दस बिस्वा सुखी तृ. लगानी 1–50 कुल खसरा 2 कुल रकबा 6–10 छः बीघा दस बिस्वा की स्थित है में प्रतिवादीगण किसी प्रकार से वादी के चले आ रहे कब्जे काश्त में किसी प्रकार से व्यवधान पैदा नहीं करें, फसली नुकसान नहीं पहूँचावे, सम्पूर्ण आराजीयात पर एवं आंशिक आराजी पर किसी प्रकार से अतिक्रमण नहीं करें और न ही एसा कृत्य करे जिससे कि वादी के चले आ रहे शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार का

Scanned with CamScanner

व्यवधान पैदा हो एसा कृत्य न तो स्वयं करें और नही अपने किसी परिवार के सदरय , ठेकेदार, मजदुर आदि से ही करावें । साथ ही तहसीलदार सीमलवाडा कों आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के उपरोक्त खाते कब्जे काश्त की आराजी पर किसी प्रकार से अतिक्रमण कर निर्माण कर लिया होना पाया जावे तो निर्माण विध्वंश करवाया जाकर आराजी को अतिक्रमण मुक्त करते हुए प्रतिवादीगण को आराजीयात से बेदखल कर कब्जा वादीगण को सुपुर्द कराया जावे । खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करेगें। पत्रावली बाद अमल दरामद फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे ।

ब सब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 12/02/2021 को जारी की गई।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, सीमलवाडा

मुहर

मुद्दई	रूपया / पैसा	मुद्दायला	रूपया / पैसा
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबुत मेहनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान बाबत इजराय मुतफरीक	/	स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालनामा स्टाम्प वजह सबुत महनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान मुतफरीक	/
मिजान			

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा